आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

20/6/25

61/25
BNSS-163

आदेश

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत काण्ड पत्रावली का अवलोकन करने, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों का अवलोकन करने, अंचल अधिकारी सदिया के जाँच प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष सहोदर भाई तथा एक ही पूर्वज के वंशज हैं। स्वत्व (Title) के नाम पर उभय पक्ष विवादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी या बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ बतलाते हैं। अंचल अधिकारी, सदिया के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैरमजरुआ खाते की है तथा किस्म जमीन जंगल दर्ज है।

चुँकि मामला गैरमजरुआ जमीन का है तथा किस्म जमीन जंगल है अतः उक्त जमाबन्दी

जारी

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 61/25	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/6/25	की वैधता पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। किस्म जंगल-जमीन पर गैर वानिकी कार्य निषिद्ध है तथा अन्य उपभोग भी विभिन्न विनियमों तथा वनाधिकार से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी जमाबन्दीयों की सम्यक जाँच कर उन्हें विधिवत रद्द करने के आदेश पूर्व से निर्गत हैं। अतः अंचल अधिकारी, सरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की सूक्ष्मता से सम्यक् जाँच करते हुए अविलम्ब विधिसम्मत निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे। उक्त जमाबन्दी की जाँच के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध न्याय निर्णय Civil writ 202/95 dated 12/12/1996 T.N. Godavarman Thirumal Vs. Union of India & Ors. " the term 'forest land' occuring in section 2 willl not only include 'forest' as understood in the dictionary sence, but also any area recorded Contd.	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 61/25	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/6/25	as Forest in the Government record irrespective of ownership." तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 8/78/1996-FC(Pt) dated 10th March 2015 के आलोक में सभी प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखेंगे तदुपरान्त संतुष्ट होकर झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(h) के तहत विधिसम्मत कार्यवाई अविलम्ब आरंभ करेंगे। उक्त संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स.भू. (दिशा-निर्देश) 95/2016-2074/रा. दिनांक 13/05/2016 तथा अन्य प्रासंगिक पत्रों में दिए गए निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नही करेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अग्र प्रभारी सचिव तथा अंचल अधिकारी सचिव को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित (signature) 20/6/25	
	(signature) 20/6/25 SDM.	

SDM Bagodar Saving (3)

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.08.25 13:25:13 +05:30
Location: 192.168.137.1